(139)

R.M.

न्यायालय रेवेन्यु बोर्ड ग्वालियर म.प्र.

निगरानी क्रं. R-1330-I/14

भंवरलाल पिता भैरूलाल उम्र लगभग 50 वर्ष
व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम भालोट
तहसील व जिला मंदसौर ------ आवेदक

बनाम

भैरूलाल पिता अमृतराम कुमावत उम्र 70 वर्ष
व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम भालोट
तहसील व जिला मंदसौर म.प्र. ------ अनावेदक

1226

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.1.2014, प्र.क. 674/अपील/2011-12 न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन ,जिनके द्वारा कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर का निर्णय दिनांक 28.7.12 प्र.क. 120/अपील/10-11 निरस्त किया गया व निर्णय तहसील मंदसौर दिनांक 30.7.11 प्र. क. 24-अ-06/2008-09 कायम रखा गया।

माननीय महोदय,

निगरानी प्रार्थी अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर निम्नवत् प्रस्तुत है:-

-: प्रकरण के तथ्य :-

/1/ यह कि आवेदक भंवरलाल की माता रूकमणबाई का स्वर्गवास होने के बाद आवेदक के पिता अनावेदक भैरूलाल ने दूसरी शादी कर ली। आवेदक की माता रूकमणबाई का स्वर्गवास हुआ तब आवेदक भंवरलाल की उम्र लगभग 5 पांच वर्ष थी। आवेदक के पिता भैरूलाल रिस्पॉडेन्ट, उनके नाना-नानी जो कि कनघट्टी रहते थे व नाना-नानी की कृषि भूमि व मकान ग्राम कनघट्टी में था। नाना-नानी की मृत्यु होने के बाद अनावेदक भैरूलाल ने अपने पिता के साथ धोखाधड़ी कर अपने नाना-नानी की जमीन अपने नाम करवा ली। अनावेदक भैरूलाल उनकी दुसरी पत्नि के साथ ग्राम

भँवरलाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

139 145

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1330-एक/2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 22-09-2017 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	